राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 02/07/2020/एस–1/85 दिनांक 23.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार भारत ने पहले ही "कोविड–19" डेड बॉडी मैनेजमेंट पर दिशा–निर्देश" साझा किए हैं, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है और अधोहस्ताक्षरी ने आदेश सं0 2/07/2020/एस–1/75 दिनांक 21.04.2020 द्वारा स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा सभी स्थानीय निकायों को इसका कड़ाई से अनुपालन करने हेतु भेजा गया है।

और जबकि, यह आवश्यक है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए, जिसके लिए यह जरूरी है कि जब भी आवश्यकता हो, जिला प्रशासन के नियंत्रण में एक शव वाहन के साथ–साथ एंबुलेंस भी उपलब्ध हों।

अब, इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी, सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश देते हैं कि वे अपने नियंत्रण में शव वाहन रखें और इसके लिए किराया/किराये का शुल्क निर्धारित किया जाए और मंडल आयुक्त, दिल्ली को सूचित किया जाए। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को विभाग द्वारा निर्धारित किराये के प्रभार पर निजी एम्बुलेंस (उनके मानक विनिर्देशों के अनुसार) किराए पर लेने और 24.04.2020 तक सभी जिला मजिस्ट्रेटों के पास दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते है। कोविड–19 समर्पित अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोविड –19 पॉजिटिव रोगियों को कोविड केयर सैंटरों, कोविड स्वास्थ्य केंद्रों और दो समर्पित कोविड–19 अस्पतालों में मरीजों की श्रेणी के अनुसार बिना वक्त गवाएं उन्हें तत्काल भर्ती किया जाये।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
12. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।